न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर जिला अजमेर

रसद प्रार्थना पत्र संख्या 40/2012

राजस्थान सरकार जरिये अमित कुमार शर्मा प्रर्वतन निरीक्षक, पीसांगन ....*प्रार्थी*

बनाम

श्री नौरत जैन उर्फ नरेन्द्र जैन पुत्र श्री कंवरलाल जैन निवासी मांगलियावास जिला–अजमेर। ....*अप्रार्थी*

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम

उपस्थित ;. 1. श्रीमती रेणुका चतुर्वेदी प्रर्वतन अधिकारी पैरोकार सरकार

आदेश

दिनांक 10.05.2017

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्राप्त शिकायत के आधार पर दिनांक 07.06..2012 को जिला रसद अधिकारी श्री हरिशंकर गोयल, प्रवर्तन निरीक्षक, श्री हेमन्त आर्य एवं प्रार्थी मांगलियावास से 2 कि.मी. ब्यावर रोड स्थित फौजी के ढाबे पर अप्रार्थी की उपस्थिति में जांच करने पर ढाबे पर स्थित दुकान में रिलायन्स के 8 व 17 सरकारी तेल कम्पनियों के व्यवसायिक श्रेणी के सिलेण्डर मिलें। इनके बारे में अप्रार्थी द्वारा कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया गया एवं ना ही इन सिलेण्डर की डायरियां प्रस्तुत की गई। सिलेण्डरों के अवैध रूप से भण्डारित पाये जाने पर इन्हें कब्जे राज लेकर मैसर्स पीसांगन गैस एजेन्सी के कार्मिक श्री सांवरलाल पुत्र श्री माधोराम की सुपुर्दगी में बाद तौल के दिये गये। जब्त गैस सिलेण्डरों का विवरण निम्न प्रकार से है :–

क्रम सं0	कम्पनी का नाम	सिरियल नम्बर	टीयर वेट कि.ग्राम में	ग्रास वेट कि.ग्रा. में	नेट वेट कि. ग्राम में
1.	रिलायन्स	58641	15.0	17.200	2.200
2.	रिलायन्स	670311	15.2	16.280	01.800
3.	रिलायन्स	81081	15.2	16.520	1.320
4.	रिलायन्स	81249	15.2	16.560	1.360
5.	रिलायन्स	14663	15.2	16.530	1.330
6.	रिलायन्स	23051	15.2	16.180	0.980
7.	रिलायन्स	4199	15.2	19.980	1.780
8.	रिलायन्स	67810	16.2	30.400	14.200
9.	बी पी सी	012371	19.00	20.420	1.420
10	बी पी सी	001582	19.00	19.100	0.100
11.	बी पी सी	029141	19.00	20.500	1.50
12.	बी पी सी	53944	19.00	19.900	0.900
13.	एच. पी सी	17057	18.8	18.800	0.00
14.	एच. पी सी	2290	19.5	19.560	0.060
15.	एच. पी. सी	18483	19.1	25.500	6.400

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

10/07/17

जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

16.	एच. पी सी	154867	19.3	19.300	0.00
17	एच. पी सी	58783	19.0	21.670	2.670
18.	इण्डेंन	15661	19.3	19.360	0.060
19.	इण्डेंन	9619	19.3	19.340	0.040
20.	इण्डेंन	00698	19.4	19.400	0.00
21.	इण्डेंन	51302	18.4	18.400	0.00
22.	इण्डेंन	151912	25.500	25.500	6.300
23.	इण्डेंन	20487	19.00	19.00	0.00
24.	इण्डेंन	15610	19.00	19.700	0.700
25.	इण्डेंन	01606	19.00	20.100	0.700

अप्रार्थी का यह कृत्य द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस(प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3(1) ख व 7 (सी) का स्पष्ट उल्लंघन है जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम–1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। प्रार्थी द्वारा कब्जेराज ली गई सामग्री 25 गैस सिलेण्डर को राजसात करने के लिए यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज कर नोटिस जारी किऐ गये। अप्रार्थी जरिये अभिभाषक उपस्थित आयें जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। सुनवाई चाहे जाने पर उपस्थित को सुना गया।

पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थी के विरूद्ध प्राप्त शिकायत पर दिनांक 07.06..2012 को प्रार्थी, प्रवर्तन निरीक्षक जिला रसद अधिकारी के साथ मांगलियावास से 2 कि.मी. ब्यावर रोड स्थित फौजी के ढाबे पर अप्रार्थी की उपस्थिति में जॉच करने पर ढाबे पर स्थित दुकान में रिलायन्स के 8 व 17 सरकारी तेल कम्पनियों के व्यवसायिक श्रेणी के सिलेण्डर मिलें। इन सिलेण्डरों के बारे में अप्रार्थी द्वारा कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया गया एवं ना ही इनसे सम्बन्धित कोई दस्तावेज तत्समय प्रस्तुत किये गये। सिलेण्डरों के अवैध रूप से भण्डारित पाये जाने पर इन्हें कब्जे राज लेकर मैसर्स पीसांगन गैस एजेन्सी के कार्मिक श्री सांवरलाल पुत्र श्री माधोराम की सुपुर्दगी में कॉटे पर तौल करवाकर अग्रिम आदेश तक यथावत सुरक्षित रखने हेतु सुर्पद किया गया। अप्रार्थी का यह कृत्य द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस(प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3(1) ख व 7 (सी) का स्पष्ट उल्लंघन है जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम–1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः उपरोक्त कब्जेराज़ ली गई सामग्री 25 गैस सिलेण्डर को राजसात करने के आदेश प्रदान करावें।

अभिभाषक अप्रार्थी ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी टेन्ट एवं केटरिंग का कार्य करता है जिसमें खाना आदि बनाने हेतु सिलेण्डरों का उपयोग करता है, जो पूर्ण रूप से व्यवसायिक है। वक्त जांच अधिकारियों को रिलायन्स द्वारा जारी डायरियॉ दिखाई गई किन्तु उनके द्वारा एक भी बात नहीं सुनी गई। अप्रार्थी पर लगाये गये अवैध रिफलिंग का आरोप पूर्ण रूप से गलत है। जब्त सिलेण्डरों में अधिकत्तर में अवशेष मात्रा शुन्य से एक व दो किलो बताई गई है, इससे भी सिद्ध है कि कैटरिंग कार्य में उपयोग के पश्चात इतनी गैस बच ही जाती है। व्यवसायिक सिलेण्डरों के उपयोग में किसी प्रकार की कोई पाबन्दी नहीं है। अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार की कालाबाजारी कर सरकारी

न्यायालय जिला कलेक्टर अजमेर

1/08/17

जिला कलेक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

सबसीडी का दुरूपयोग नहीं किया गया है। अतः प्रार्थी द्वारा जब्त किये गये सिलेण्डर अप्रार्थी को लौटाये जाने के आदेश न्याय हित में प्रदान करावें।

हमने उभय पक्ष के कथनों पर मनन किया रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी से व्यवसायिक सिलेण्डर अलग–अलग कम्पनियों के जप्त किये गये जिनमें ज्यादातर में 0 से 2 किलो गैस शेष है। पर्याप्त साक्ष्य एवं ठोस आधार नहीं होने से प्रार्थी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है। कब्जेराज लिये गये सिलेण्डरों को पुनः अप्रार्थी को लौटाये जाने के आदेश दिये जाते है।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 10.05.2017 को सरे इजलास सुनाया गया।

10/05/17

(गौरव गोयल)
जिला कलक्टर,
अजमेर

Scanned by CamScanner